

**लघु उद्योगों के प्रबन्धन में महिलाओं की भूमिका****संतोष शर्मा****परिचयात्मक शोध की भूमिका**

शोधार्थी, टांटिया विश्वविद्यालय श्री
गंगानगर
डॉ. अशोक कुमार यादव
सहायक आचार्य वाणिज्य,
टांटिया विश्वविद्यालय श्री गंगानगर

Paper Received date

05/08/2025

Paper date Publishing Date

10/08/2025

DOI<https://doi.org/10.5281/zenodo.16988090>

शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति की आधारशिला होती है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए। शिक्षा सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का माध्यम बनती है। आज जब देश आत्म निर्भर भारत की दिशा में बढ़ रहा है, तो यह आवश्यक हो जाता है कि महिलाएं उद्योगों विशेष कर लघु व कुटीर उद्योगों में सक्रिय भागीदार बनें और यह तभी संभव है, जब शिक्षा के माध्यम से उन्हें तैयार किया जाए। इसके लिए महिलाओं को प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक समान अवसर देकर, व्यावसायिक और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करके, डिजिटल शिक्षा और ऑनलाइन प्रशिक्षण उपलब्ध करवा कर, उद्यमिता आधारित शिक्षा देकर, रोल मॉडल तथा प्रेरणा स्रोतों से जोड़कर, स्वयं सहायता समूह में शिक्षित महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाकर, शिक्षा और सरकारी योजनाओं का समन्वय स्थापित करके, किया जा सकता है। शिक्षा ही वह हथियार है, जिससे महिलाएं लघु उद्योगों की नींव रख सकती हैं, उसे चला सकती हैं और समाज को दिशा दे सकती हैं। इसीलिए आवश्यकता है कि हम महिला को शिक्षा देकर न केवल सशक्त करें, बल्कि उन्हें देश की आर्थिक शक्ति का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं। यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है और यदि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और समाज शिक्षित होता है।

महिलाएं समाज और परिवार की रीढ़ होती हैं। यदि उन्हें सुरक्षित, सम्मानजनक और स्वास्थ्यकर वातावरण मिले, तो वह लघु उद्योगों में न केवल अपना काम सकती हैं, बल्कि नेतृत्व भी कर सकती हैं। आज भी अनेक महिलाएं केवल इसीलिए उद्योगों में भाग नहीं ले पाती, क्योंकि कार्यस्थल पर सुरक्षा, भेदभाव या शोषण का भय बना रहता है। इसीलिए यदि स्वस्थ कार्य दशाएं सुनिश्चित की जाए, तो महिलाओं की भागीदारी उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकती हैं। इसके लिए कार्य स्थल पर सुरक्षा और शोषण विरोधी कानून को सख्ती से लागू कर के, महिला कर्मचारियों के लिए विशेष शिकायत प्रकोष्ठ बना कर, महिलाओं के लिए अलग से स्वच्छ शौचालय, पीने का पानी, फर्स्ट एड और मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी सुविधाएं सुनिश्चित करके, स्वास्थ्य, बीमा योजना और नियमित स्वास्थ्य जांच शिविर की व्यवस्था करके, मातृत्व अवकाश, लचीले कार्य घंटे, प्रशिक्षण, उन्नति के अवसर, समान कार्य के लिए समान वेतन, कार्यस्थल पर बाल देखभाल केंद्रों की स्थापना करके, महिला नेतृत्व को प्रोत्साहन

देकर आदि के द्वारा महिलाओं को एक स्वस्थ व स्वच्छ वातावरण दिया जा सकता है। स्वस्थ कार्य दशाएं देना कोई विशेष अधिकार नहीं है बल्कि यह महिलाओं का अधिकार है। स्वस्थ कार्य दशाएं देकर महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वह निर्भर होकर कार्य करेंगी। इसे महिला कर्मचारी लंबे समय तक जुड़ी रहेंगी और संगठन में संतुलन और नवाचार भी आएगा। आज के वैश्विक दौर में बहुराष्ट्रीय कंपनियां केवल लाभ कमाने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उनका सामाजिक उत्तरदायित्व भी एक महत्वपूर्ण पहलू बन चुका है। इसी सामाजिक कर्तव्य के अंतर्गत यदि वे महिलाओं को सशक्त बनाने, उद्योगों से जोड़ने और उद्यमिता के अवसर देने की दिशा में काम करें, तो इससे लघु उद्योगों में महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय रूप से बढ़ सकती है। इसके लिए उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करके, स्थानीय महिला स्वयं सेवी संगठनों से उत्पाद खरीदने और उन्हें बढ़ावा देकर, महिलाओं को आपूर्ति श्रृंखला में शामिल करके, शिक्षा और डिजिटल साक्षरता अभियान चला कर, स्थाई महिला उद्योगों को फंडिंग और मैटरशिप देकर, महिला उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के अवसर देकर, नौकरी और नेतृत्व के अवसर प्रदान करके सहायता कर सकते हैं। इन प्रयासों से महिलाएं उद्योगों से जुड़ेंगी और वह आत्म निर्भर बनेंगी। महिला उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी और समाज में लैंगिक समानता भी बढ़ेगी जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने सामाजिक दायित्वों में महिलाओं को प्राथमिकता देती हैं, तब न केवल महिलाएं सशक्त होती हैं बल्कि पूरा देश प्रगति करता है। यदि उद्योगों के सामाजिक उत्तरदायित्वों को महिला सशक्तिकरण से जोड़ तो लघु उद्योगों में महिलाओं की भूमिका को व्यापक प्रभावशाली और स्थाई रूप से बढ़ाया जा सकता है। इससे नारी शक्ति और आत्मनिर्भर भारत दोनों एक साथ सशक्त होंगे।

परिचयात्मक शोध के सोपान

जब समाज की सोच बदलती है तब महिला सिर्फ गृहिणी नहीं रहती वह एक निर्माता, संचालक और प्रेरणा बन जाती है। रूढ़िवादी सोच को बदलना केवल सामाजिक सुधार नहीं यह आर्थिक और सांस्कृतिक क्रांति का आधार है। लघु उद्योगों के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका तभी बढ़ेगी जब उन्हें घर से लेकर समाज तक पूरा समर्थन और सम्मान मिलेगा। इसके लिए 'लड़की बोझ नहीं वह तो घर की शक्ति है' इस विचारधारा को व्यवहार में लाना होगा। माता-पिता पति भाई को यह समझना होगा कि महिला का व्यवसाय करना सम्मानजनक है ना की अपमानजनक। 'पुरुष और महिला दोनों समान रूप से परिवार को चला सकते हैं, इस भावना को बढ़ाना होगा। महिला स्वयं सहायता समूह गो पंचायत और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से रूढ़िवादी सोच पर खुली चर्चा करनी चाहिए। सफल महिला उद्यमियों को डोल मॉडल बनाकर समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। लड़कियों को सिर्फ स्कूल ही नहीं व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास की और भी प्रोत्साहित करना चाहिए। ग्रामीण और शहरी दोनों स्तर पर जागरूकता शिविर आयोजित करना चाहिए।

लघु उद्योगों के क्षेत्र में लैंगिक असमानता एक बहुत बड़ी बाधक बनी हुई है। पुरुषों को ज्यादा अवसर, संसाधन और अधिकार मिलते हैं। जबकि महिलाएं अभी भी वंचित और सीमित अवसरों में कार्यरत हैं। यदि हम इस लैंगिक असमानता को दूर करें तो महिलाएं लघु उद्योगों में अपनी पूर्ण क्षमता के साथ योगदान दे सकती हैं। इसके लिए समान शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करके, ऋण और सब्सिडी में समानता, नीतिगत समर्थन और कानूनी संरक्षण प्रदान करके, सामाजिक जागरूकता और मानसिकता में बदलाव करके, पारिवारिक सहयोग को प्रोत्साहन देकर, प्रेरणादायक महिला उद्यमियों को सम्मानित करके,

डिजिटल मंच और ऑनलाइन अवसर देकर लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जा सकता है। जब महिला और पुरुष को बराबर समझ जाएगा, तभी लघु उद्योगों में भी सच्चा विकास संभव होगा। लैंगिक असमानता को दूर करना सिर्फ एक सामाजिक सुधार नहीं है, बल्कि एक आर्थिक क्रांति है। यदि सरकार, समाज, परिवार और महिला स्वयं मिलकर यह बदलाव लाए, तो महिलाएं ने केवल लघु उद्योगों की रीढ़ बनेगी, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी अग्रसर करेंगी।

परिचयात्मक शोध का महत्व

आज की युग में भारतीय महिलाएं गृह कार्य के साथ-साथ लघु उद्योगों और उद्यमिता के क्षेत्र में भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं, किंतु पारिवारिक जिम्मेदारियां उन्हें कई बार व्यावसायिक अवसर से वंचित कर देते हैं। ऐसे में यदि परिवार का सकारात्मक सहयोग मिले, तो महिलाएं न केवल सशक्त करने की बल्कि देश के आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। घर और उद्योग में संतुलन बनाए रखना आसान नहीं होता है। महिलाओं को निर्णय लेने में समर्थन चाहिए होता है। पारिवारिक विरोध महिलाओं के आत्मविश्वास को तोड़ सकता है। इसीलिए पारिवारिक सहयोग आवश्यक है। इसके लिए घरेलू कामों में सभी सदस्यों की भागीदारी, पति और बच्चों को घरेलू कार्य के प्रति जागरूक बना कर, परिवार में उद्यमिता निवेश और लाभ हानि की बुनियादी जानकारी सभी को देखकर, महिला के कार्य को छोटा-मोटा ना मानकर सम्मानजनक व्यवसाय समझा जाए। व्यवसाय में आने वाली चुनौतियों के समय परिवार महिला को हौसला दे, ना की आलोचना करें। परिवार को चाहिए कि वह महिला की प्रगति पर गर्व महसूस करें। परिवार को एक टीम की तरह काम करना चाहिए। यदि कोई महिला एक उद्यम शुरू करती है, तो परिवार उसका समर्थन करें क्योंकि जब एक महिला आगे बढ़ती है, तो साथ में पूरा परिवार और समाज भी प्रगति करता है। पारिवारिक सहयोग महिलाओं के लिए सबसे बड़ा संभल बन सकता है। यदि हम चाहते हैं कि महिलाएं लघु उद्योगों में आत्मनिर्भर और अग्रणी बने तो यह जरूरी है कि उनके परिवार उन्हें समझ स्वीकार है और साथ चले।

परिचयात्मक शोध के उद्देश्य

1. समस्याओं के निवारण हेतु सरकारी प्रयासों का अध्ययन करना।
2. केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से अवगत करना।
3. जिले में लघु व कुटीर व लघु उद्योगों में महिलाओं की सही स्थिति का पता लगाने का।
4. जिले में इन उद्योगों के बारे में बहुआयामी अध्ययन करना आदि।

परिचयात्मक शोध का निष्कर्ष

लघु उद्योगों के क्षेत्र में महिलाएं आज भी अनेक सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी और पारंपरिक बाधाओं से जूझ रही हैं। इन समस्याओं हेतु बहुस्तरीय प्रयासों की आवश्यकता है। इसीलिए महिलाओं को सक्षम, आत्म निर्भर और उद्यमी बनाने के लिए हमें मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाना होगा, जिसमें वे बिना किसी बाधा के अपने लघु उद्योग को चला सकें और देश के आर्थिक विकास में सक्रिय योगदान दे सकें।



International Educational Applied Research Journal

Peer-Reviewed Journal-Equivalent to UGC Approved Journal

A Multi-Disciplinary Research Journal

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. राजस्थान सरकार: सामाजिक न्यायव अधिकारिता विभाग, प्रयास एवं प्रगति, प्रशासनिक प्रतिवेदन, जयपुर।
2. रोशन आर.के.आर के आर स्टडी
3. जिला सांख्यिकी पुस्तिका: जिला कार्यालय, नागौर (राज.)
4. जनसंख्या के अन्तिम आंकड़े : भारत की जनगणना 2011, कार्य निदेशालय, जयपुर, राजस्थान।
5. नागौर का राजनीतिक व सांस्कृतिक इतिहास: डॉ. मोहन लाल गुप्ता (1999)